

जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना (उत्तर प्रदेश) एक सरकारी स्वास्थ्य योजना है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधाएं और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया है। यह योजना गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और शिशु देखभाल के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करना है और गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता न हो, खासकर उन महिलाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

जननी सुरक्षा योजना (उत्तर प्रदेश) की मुख्य विशेषताएँ:

1. लक्षित लाभार्थी:

इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब और पिछड़े वर्गों की गर्भवती महिलाओं को मिलता है। योजना का लाभ गरीबी रेखा (BPL) और अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को मिलता है। योजना के तहत महिलाओं को सामान्य प्रसव और सिजेरियन प्रसव दोनों के लिए निःशुल्क इलाज मिलती है।

2. स्वास्थ्य सेवाएँ:

प्रसव संबंधी स्वास्थ्य सेवाएँ: योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को सामान्य प्रसव और सिजेरियन प्रसव की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में सभी चिकित्सा परीक्षण, दवाइयाँ, और सर्जरी शामिल हैं। गर्भवती महिला की देखभाल: गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के दौरान की सभी स्वास्थ्य जांच, आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ, और टीकाकरण जैसी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती

3. नकद सहायता:

गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत नकद सहायता दी जाती है, जिसका उद्देश्य प्रसव के खर्चों को पूरा करने में मदद करना है। यह सहायता महिला के परिवार के आर्थिक हालात और प्रसव की स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती है। राज्य सरकार इस राशि को डिजिटल भुगतान के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजती है।

4. आवेदन प्रक्रिया:

इच्छुक गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पर पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण के दौरान, महिला को आधार कार्ड, राशन कार्ड, और गर्भवती महिला के मेडिकल रिकॉर्ड जैसी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं। पंजीकरण के बाद, महिला को जननी सुरक्षा योजना कार्ड दिया जाता है, जिससे उसे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है।

5. पात्रता:

आर्थिक स्थिति: योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को मिलता है। गर्भवती महिला: महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष तक हो सकती है। महिला को सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पंजीकरण कराना होगा और सेवाएँ केवल सरकारी संस्थाओं में ही प्राप्त की जा सकती हैं।

6. नवीनतम सुधार:

उत्तर प्रदेश सरकार ने जननी सुरक्षा योजना में डिजिटल पंजीकरण की सुविधा शुरू की है, जिससे महिलाओं के लिए पंजीकरण और भुगतान प्रक्रिया और अधिक सरल और पारदर्शी हो गई है। इसके अलावा, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि महिलाओं को योजना के बारे में सही जानकारी मिल सके।

जननी सुरक्षा योजना के लाभ:

1. स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता:

यह योजना गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और बेहतर शिशु देखभाल की निःशुल्क सुविधा देती है, जिससे मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।

2. आर्थिक सहायता:

महिलाओं को प्रसव के दौरान नकद सहायता मिलती है, जिससे उनके प्रसव के खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है।

3. मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी:

योजना का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना है, क्योंकि सुरक्षित और समय पर चिकित्सा सहायता से मृत्यु दर में कमी आ सकती है।

4. सामाजिक समानता:

यह योजना गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का समान लाभ देती है, जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है।

5. बेहतर स्वास्थ्य देखभाल:

गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, और नवजात शिशु की देखभाल जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ मिलता है, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

6. सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना:

योजना के माध्यम से सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जाता है, जिससे न केवल माताओं की जान बचाई जा सकती है, बल्कि नवजात शिशु की देखभाल भी प्रभावी रूप से की जाती है।

निष्कर्ष:

जननी सुरक्षा योजना (उत्तर प्रदेश) राज्य की गर्भवती महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना से गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी मिलती है, जिससे उन्हें प्रसव के दौरान होने वाली आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है। यह योजना मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और स्वास्थ्य क्षेत्र में समानता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।